तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

29/1/26

प्रार्थना पत्र पेश हुई। वकीलों द्वारा
[illegible]/D.O. सा० राज्य कार्य में
से जनरल तारीख पेशी हो या
आदेश की पालना में दि 29/1/26
को पेश हो।

29/01/26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप/वकील उभयपक्ष द्वारा प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस की गयी। इसने बहस सुनी। बहस पर मनन किया। प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, जवाब प्राप्त व मूलदावा पत्रावली का अवलोकन किया। मूल दावा उद्घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। बाद की सुनवायी के दौरान वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा रहन-सहन व उसे उत्पन्न करने के अंदेशा के मध्यनजर प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वकील उभयपक्ष बहस परमननकरने एवं प्रा.पत्र व जवाब प्रा.पत्र के अवलोकन के आधार प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 07/08/2024 को ता.कैथल मूल वाद कन्फर्म किया जाता है। प्रकरण कैथल शुमार होकर वादकर्मीत दाखिल दफ्तर हो।

29/1/26